

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

श्री कान्तिलाल खत्री, सहायक परियोजना समन्वयक (प्रधानाचार्य समकक्ष), समग्र शिक्षा, सिरोही जन्मतिथि 24.05.1965 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 15.02.2023 से 15.07.2023 तक 05 माह की कनाडा जाने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदानकीजाती है :-

- 1 कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- 2 कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझाकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एंव उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- 4 विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 5 सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे:
  - (1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - (2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एंव महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारण पूर्ण से कर दिया गया है।
  - (3) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - (4) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधिन नहीं है।
- 6 विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- 7 विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बद्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दोरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एंव न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
- 9 विदेश यात्रा के दोरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- 11 विदेश यात्रा के दोरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/विदेश यात्रा/2022/59

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
- 4 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सिरोही
- 5 श्री कान्तिलाल खत्री, सहायक परियोजना समन्वयक (प्रधानाचार्य समकक्ष), समग्र शिक्षा, सिरोही
- 6 एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 गार्ड पंजिका।

दिनांक : 23.12.2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय—आदेश

श्रीमती मंजू सहारण, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तन्दूरवाली, पं.स. टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जन्मतिथि 02.10.1976 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 17.05.2023 से 16.06.2023 तक 31 दिन की ज्यूरिख, स्वीट्जरलैण्ड, बेल्जियम, यू.के. जाने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं:-

- 1 कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- 2 कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपरिथित प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपरिथित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपरिथित रहा माना जावेगा एंव उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- 4 विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 5 सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे:   
(1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होंगा।   
(2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एंव महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारण पूर्ण से कर दिया गया है।   
(3) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।   
(4) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकारण लम्हित/विचाराधीन नहीं है।
- 6 विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- 7 विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दोरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एंव न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
- 9 विदेश यात्रा के दोरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी। 144
- 11 विदेश यात्रा के दोरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



सत्यमेव जयते

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3/विदेश यात्रा/2019 / 178

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक : 23.12.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, हनुमानगढ़
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
- 5 प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तन्दूरवाली, पं.स. टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 6 श्रीमती मंजू सहारण, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तन्दूरवाली, पं.स. टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 7 एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर